

सं. 3/4/2017-कल्याण

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

द्वितीय तल, जीवन दीप भवन

संसद मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2018

1. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2. अध्यक्ष, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां।
3. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मुंबई।
4. मुख्य महाप्रबंधक (एचआरडीडी), आर.बी.आई., मुंबई।
5. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), प्रधान कार्यालय, दिल्ली।
6. अध्यक्ष, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), प्रधान कार्यालय, हैदराबाद।
7. अध्यक्ष, आईबीए, मुंबई।

विषय: निर्दिष्ट (बेंचमार्क) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में।

मुझे इसके साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36035/02/2017-स्था.(आ.)दिनांक 15.01.2018 की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के आरक्षण के संबंध में अनुदेश दिए गए हैं।

2. अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु इन्हें अपने सभी संबंधित संगठनों के ध्यान में लाया जाए एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी दी जाए।

(अरूण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23748725

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि:

1. आई.आर. अनुभाग।
2. आरआरबी को इसी तरह के अनुदेश जारी करने हेतु आरआरबी अनुभाग को ।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (श्री जी.श्रीनिवासन, उप सचिव) को कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/02/2017-स्था.(आ.) दिनांक 15.01.2018 के संदर्भ में।
4. वित्तीय सेवाएं विभाग का सूचना-पट्ट।
5. वित्तीय सेवाएं विभाग के एन.आई प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि इसे विभाग की वेबसाइट पर डाल दें।
6. गार्ड फाइल।

(अरूण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार